कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
पंचदीप भवन,ई.डी.सी.प्लॉट सं.23,पाट्टो,पणजी,गोवा-403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail :rd-goa@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

सं.33.ए.11.11.89.2011-राजभाषा-1-खंड-2 दिनांक: 08.04.2026

परिपत्र

विषय:- क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2026 को सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यालय गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त।

क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2026 को सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की प्रति सूचना, आवश्यक कार्रवाई तथा कड़े अनुपालन के लिए प्रेषित है।

यह क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

Digitally signed by
Shivaji Narayan Pol
Date: 08-04-2026
13:16:49

(शिवाजी नारायण पोल)

सहायक निदेशक(राजभाषा(प्रभारी))

सेवा में

1. क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के सभी अधिकारी/ अधीक्षक/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ शाखाएँ।
3. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय वास्को/ फॉण्डा/ महाप्सा/ मडगांव/ पणजी/ बीचोलिम, गोवा।
4. महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. उप निदेशक(राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, मुंबई को सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप निदेशक(पश्चिम क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नंबर-601-ए, केंद्रीय सदन, सैक्टर-10, छठवा तल, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400614
7. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति व मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, उत्तर गोवा, पाट्टो, आयकर भवन, गोवा, पणजी- 403001
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 26.02.2026 को सम्पन्न विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पणजी, गोवा की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2026 को आयोजित की गई।

सहायक निदेशक(राजभाषा(प्रभारी)) ने प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक तथा बैठक में उपस्थित सभी समिति सदस्यों के अभिवादन किया तथा तदोपरांत प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक की अनुमति से बैठक प्रारंभ की गई। सदस्य सचिव द्वारा अध्यास्ख महोदय से बैठक का संचालन वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति उपरांत बैठक संचालन की आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा की गई।

मद संख्या-1	**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।**

क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा की पिछली बैठक दिनांक 30.12.2025 को आयोजित की गई थी जिसके कार्यवृत्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों/ शाखाओं को परिचालित कर दिये गए थे। बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों ने कार्यवृत्त की प्रति मिलने की पुष्टि की।

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने उपस्थित सभी सदस्यों से कार्यवृत्त संबंधी किसी आपत्ति/ सुझाव के लिए अनुरोध किया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति तथा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या-2	**दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही अवधि से संबंधित हिन्दी प्रगति संबंधी आंकड़ों पर चर्चा।**

बैठक में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा द्वारा 'क' क्षेत्र को कुल 260 पत्र भेजे गए जिनमें से 223 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी तथा 37 पत्र केवल अंग्रेज़ी में भेजे गए। इस प्रकार 'क' क्षेत्र के साथ 85.55% मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। 'ख' क्षेत्र को कुल 5 पत्र भेजे गए जिनमें से सभी 5 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी भेजे गए तथा कोई भी पत्र अङ्ग्रेज़ी में नहीं भेजा गया। इस प्रकार 'ख' क्षेत्र के साथ 100 % मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। 'ग' क्षेत्र को कुल 2068 पत्र भेजे गए जिनमें से 1719 पत्र हिन्दी/ द्विभाषी तथा 349 पत्र केवल अंग्रेज़ी में भेजे गए। इस प्रकार 'ग' क्षेत्र के साथ 83.12% मूल पत्राचार हिन्दी में किया गया। तिमाही के दौरान कुल 8173 पृष्ठ टिप्पणियाँ लिखी गईं जिनमें से हिन्दी में लिखे गए पृष्ठों की संख्या 6758 रही। इसके अतिरिक्त, तिमाही में हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या 508 थी जिनमें से किसी भी

प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेज़ी में नहीं दिया गया। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025-2026 में 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की।

मद संख्या 3	**राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन**

क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) से संबन्धित कुल 271 कागजात जारी किए गए। सभी कागजात द्विभाषी/ हिन्दी रूप में जारी किए गए हैं। इस प्रकार कार्यालय में धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसपर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया।

मद संख्या 4	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चर्चा।**

सभी समिति सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-2026 के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है। इस वर्ष पिछले वार्षिक कार्यक्रम के अपेक्षित लक्ष्य प्रतिशत में बदलाव किए गए हैं तथा कुछेक बिन्दुओं को जोड़ा गया है। वार्षिक कार्यक्रम की प्रति सभी शाखाओं तथा शाखा कार्यालयों को कड़े अनुपालनार्थ जारी कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्यों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025-2026 लक्ष्य के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि हम वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं परंतु यहीं नहीं रुकना है। गोवा में सभी कार्मिक हिन्दी जानते हैं इसलिए मूलपत्राचार का प्रतिशत में और बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होने कहा कि हमे अब 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना है और सभी कार्मिक इसी दिशा में प्रयासरत रहें।

मद संख्या 5	**स्थापित जांच बिन्दुओं का अनुपालन**

राजभाषा विभाग, भारत सरकार तथा मुख्यालय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2025-2026 के लिए जांच बिन्दुओं की प्रति सभी शाखाओं/ अधिकारियों / शाखा कार्यालयों को कड़े अनुपालनार्थ परिचालित कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को जांच बिन्दुओं के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि सभी शाखाएँ/ शाखा कार्यालय अनिवार्य रूप से ईमेल हिन्दी/ द्विभाषी में ही लिखना सुनिश्चित करें।

श्रीमती विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने यह सुझाव दिया कि इस मद को आगामी वर्ष की जांच बिन्दु सूची में शामिल किया जा सकता है। इसपर क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) ने सहमति जताते हुए कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय गोवा से जारी होने वाली आगामी वर्ष की जांच बिन्दु सूची में इस मद को भी शामिल किया जाए तथा इसके लिए उत्तरदायी कार्मिक ईमेल प्रेषणकर्ता कार्मिक तथा उस शाखा/ शाखा कार्यालय का अधिकारी/ शाखा कार्यालय प्रबन्धक होंगे।

मद संख्या 6	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

क्षेत्रीय कार्यालय गोवा में आलोच्य तिमाही के दौरान हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या 508 थी जिनमें से किसी भी प्राप्त पत्र का उत्तर केवल अंग्रेज़ी में नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया तथा निदेश दिया कि भविष्य में भी इसी प्रकार इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मद संख्या 7	शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

अध्यक्ष महोदय ने शाखा कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के संबंध में जानना चाहा। इसपर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के अधीनस्थ 3 शाखा कार्यालयों का माह नवंबर, 2025 में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया तथा उन शाखा कार्यालयों में हिन्दी की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। निरीक्षण के दौरान पाई गईं कुछ कमियों के संबंध में उन्हें निरीक्षण के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन/ सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, अन्य शाखा कार्यालयों के साथ भी दूरभाष आदि के माध्यम से नियमित रूप से संपर्क कार्य किया जाता है और कार्मिकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखा कार्यालयों को मूल पत्राचार हिन्दी में ही करने तथा सभी ईमेल हिन्दी/ द्विभाषी में ही भेजने के निदेश दिए।

मद संख्या 8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय

प्रशिक्षण हेतु शेष सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाया जाना- वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए शेष 05 कार्मिकों को पत्राचार माध्यम से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण परीक्षा में प्रवेश प्राप्त हो गया है।

इसके अतिरिक्त, हिन्दी भाषा(प्राज्ञ पाठ्यक्रम) के लिए शेष इस कार्यालय में केवल एक कार्मिक शेष है जिसे पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाने संबंधी कार्रवाई की गई थी परंतु प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त उत्तर के अनुसार संबन्धित कार्रवाई मई, 2026 में की जाए तथा उन्हें प्रशिक्षण के अगले सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त, उत्तीर्ण करने के उपरांत ही संबन्धित कार्मिक को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण दिलवाया जा सकेगा। इसपर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संबन्धित कार्मिक को प्रशिक्षण(पत्राचार माध्यम से ही) यथाशीघ्र दिलवाया जाए।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन हुआ।

<u>बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों के सूची निम्नानुसार है:-</u>

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/ पदनाम (सर्वश्री/ श्रीमती/ कुमारी)	अध्यक्ष/ सदस्य सचिव/ सदस्य	हिन्दी ज्ञान स्तर	हिन्दी कार्य का प्रतिशत
1.	मनीष कुमार, क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी)	अध्यक्ष	प्रवीण	95 %
2.	डॉ. रवीन्द्र नारखेड़े, राज्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	कार्यसाधक	75%
3.	ज्योति प्रकाश, उप निदेशक	सदस्य	प्रवीण	98 %
4.	राजेश सिंह, उप निदेशक	सदस्य	कार्यसाधक	75%
5.	हेमंत कुमार, उप निदशक	सदस्य	कार्यसाधक	80 %
6.	शिवाजी नारायण पोल, सहायक निदेशक(राजभाषा(प्रभारी))	सदस्य सचिव	कार्यसाधक	80%
7.	विनीता कुकरेती, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	सदस्य	प्रवीण	100%
8.	निखिल गोवलकर, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	90%
9.	शैलेश मोरे, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	80 %
10	कांचन महादेव नाईक, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	90%
11	आयुष कैंथोला, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक	दिनांक 26.02.2026 को ही निगम सेवा में कार्यग्रहण।
12	संध्या बी., शाखा कार्यालय प्रबन्धक, शा.का. पणजी	सदस्य	कार्यसाधक	75%
उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ शाखा कार्यालयों से शाखा कार्यालय प्रबन्धकों/ शाखा कार्यालय प्रतिनिधि ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।				